सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अधीन समिति के पंजीकरण की औपचारिकताएं

1– संस्था के सचिव की ओर से संस्था के पंजीकरण हेतु एक औपचारिक आवेदन पत्र के साथ सादे मोटे टिकाऊ कागज के केवल एक ही ओर टंकित कराकर संस्था के स्मृति–पत्र, निमयावली , शुल्क रू0 2000–00 (दो हजार रूपया) नकद या बैक ड्राफ्ट तथा संस्था के पूर्व में पंजीकृत न होने सम्बन्धी नोटरी शपथ–पत्र के साथ संबंधित मण्डलीय कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। (धारा–3)

2– बैंक ड्राफ्ट राष्ट्रीयकृत बैंक का होना चाहिए जो रजिस्ट्रार फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स उ0प्र0 लखनऊ अथवा संबंधित डिप्टी रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार के पक्ष में देय हो।

3– निबन्धन कार्यालय में मात्र उक्त पत्रों के प्रस्तुत करने अथवा भेजे जाने से ही संस्था पंजीकृत नहीं मानी जायेगी बल्कि पंजीकरण प्रमाण–पत्र जारी कर दिये जाने पर ही संस्था पंजीकृत मानी जायगी। (धारा–3)

4– स्मृति पत्र में अग्रलिखित सूचनायें क्रमवार दी जायेगी। (धारा (2) तथा नियम 3)।

स्मृति पत्र

(1) संस्था का नाम

(2) संस्था का पूरा पता

(3) संस्था का कार्यक्षेत्र

(4) संस्था का उद्देश्य

(5) संस्था के प्रबंधकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम पते, पद तथा व्यवसाय जिनको संस्था के इस स्मृति पत्र तथा नियमों के अनुसार संस्था का कार्यभार सौंपा गया –

क्रमसं0	नाम तथा पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1	2	3	4	5

8–नियमावली में अग्रलिखित सूचनायें क्रमवार दी जायेगी (धारा 2 तथा नियम 4)।

नियमावली

(1) संस्था का नाम (स्मृति पत्र के अनुसार)

(2) संस्था का पूरा पता

(3) संस्था का कार्यक्षेत्र

(4) संस्था का उद्देश्य

(5) संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग (आजीवन, सामान्य संरक्षक आदि)

(6) सदस्यता समाप्ति मृत्यु, पागलपन, दंडित होना, दिवालिया होना, शुल्क न देना आदि। (7) संस्था कें अंग (अ) साधारण सभा (ब)प्रबंधकारिणी समिति। साधारण सभा (अ) गठन, (ब) बैठक–सामान्य व विशेष,(स) सूचना आदि, (द) गणपूर्ति , (य) विशेष/वार्षिक ।

(8) अधिवेशन की तिथि आदि (र) साधारण सभा के कर्तव्य/अधिकार।

(9) प्रबंधकारिणी समिति –(अ) गठन, (ब)बैठकें–सामान्य व विशेष , (स)सूचना–अवधि, (द) गणपूर्ति (ध) रिक्त स्थानों की पूर्ति आदि (र) प्रबंधकारिणी समिति के कर्तव्य/अधिकार तथा (ल) कार्यकाल।

(10) प्रबंधकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य।

(11) संस्था के नियमों व विनियमों में संशोधन प्रकिया।

(12) संस्था का कोष (लेखा व्यवस्था)।

(13) संस्था के आय–व्यय का लेखा परीक्षण (आडिट)।

(15) संस्था के अभिलेख (सदस्यता रजिस्टर,कार्यवाही रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर,कैशबुक आदि)।

(16) संस्था के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही (धारा13 व 14)।

(17) अन्य ऐसी सभी विवरण प्राविधान जो संस्था के उद्देश्य की गणपूर्ति एवं संस्था के संचालन में सहयोगी, उपयोगी एवं आवश्यक हो (धारा 2 तथा नियम 4)।

<u>पंजीकरण के आवश्यक निर्देश</u>

1–नियमावली के प्रत्येक पृष्ठ पर प्रबंधकारिणी समिति के कम से कम 3 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिये (धारा 2)।

2–प्रत्येक संशोधन एक पदाधिकारी के हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिये (नियम 5(2))

3–संस्था का नाम पूर्व में किसी पंजीकृत संस्था के नाम जैसा या उससे मिलते जुलते नाम जैसा नहीं होना चाहिये। संस्था के नाम के साथ 'यूनियन','स्टेट', लैण्ड मार्गेज', लैण्ड डेवलपमेट'', 'गॉधी, 'कोआपरेटिव', संघ, 'रिजर्व बैंक', अथवा ऐसे कोई भी शब्द जिससे संस्था के प्रति केन्द्र या राज्य सरकार या अन्य स्थानीय प्राधिकरण आदि की स्वीकृति अथवा संरक्षण का बोध हो, का प्रयोग नहीं होना चाहिये (धारा (3)(2))।

4–स्मृति पत्र, नियमावली व पंजीकरण शुल्क के साथ संस्था की साधारण सभा की सूची, संस्था के गठन की कार्यवाही व एक नोटरी शपथ पत्र अध्यक्ष/ महामंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा, जिसमें निम्न बिन्दु वर्णित किये जायेगें–

1) आवेदित संस्था के नाम से मेरी जानकारी में पूर्व में कोई संस्था पंजीकृत नहीं है, यदि पंजीकृत पायी जाती है तो संस्था का नाम परिवर्तन करने में कोई आपत्ति नहीं होगी।

2) संस्था द्वारा लाभ के उद्देश्य से कार्य नहीं किया जायेगा।

3) संस्था द्वारा स्मृति पत्र में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार साहित्यिक वैज्ञानिक या धर्मार्थ (जो भी लागू हो) कार्य किये जायेगें।

4) संस्था के समस्त पदाधिकारी/सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर मेरे समक्ष किये गये है।